HR-BTD 29 Oct.qxd 10/28/2026 9:57 PM Page 5

सीआईए स्टाफ नरवाना द्वारा नरवाना में दो युवकों का अपहरण करने के मामले में तीन और आरोपी गिरफ्तार

नरवाना, 28 अक्तूबर (विकास जेठी): पुलिस अधीक्षक उपासना आईपीएस के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सीआईए स्टॉफ नरवाना ने दो युवकों से अपहरण कर मारपीट करने के मामले में तीन ओर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कि है। पकडे गए आरोपी कि पहचान सजींव वासी नरवाना, आजाद व कर्मा वासियान टोहाना के रुप में हुई है। सीआईए स्टॉफ नरवाना के इचार्ज नि. यादवेन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कि गत 24 अक्तूबर की रात को पुलिस को सुचना प्राप्त हुई कि पुराना बस अड्डा नरवाना के नजदीक स्कोर्पियो में सवार 5/6 बदमाशों ने 2 युवकों का अपहरण कर लिया है व उनकी आई 20 कार भी साथ ले गए हैं सीआईए टीम नरवाना व थाना शहर नरवाना की संयुक्त ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया और रात के समय ही टोहाना क्षेत्र से दोनों युवकों को सकुशल बदमाशों के चुंगल से छुडवा लिया तथा वारदात में शामिल तीन आरोपी अरमान, साहिल व जस्सा वासियान गीता कॉलोनी टोहाना को नियमानुसार गिरफ्तार करके जिन्हे न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेजा जा चुका है। तीनो आरोपियों कि पूछताछ में सजींव वासी नरवाना, आजाद व कर्मा वासियान टोहाना का नाम सामने आया। जिन्हे नियमानुसार गिरफ्तार करके आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दें तथा कानून अपने हाथ में न लें। पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।



दो युवकों के अपहरण मामले में सीआईए स्टाफ द्वारा गिरफ्तार तीन और आरोपी। (छाया : जेठी)

नशा तस्करी में संलिप्त आरोपी पुलिस ने किया निरुद्ध

नरवाना, 28 अक्तूबर (विकास जेठी): पुलिस अधीक्षक उपासना आईपीएस के कुशल मार्गदर्शन में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस द्वारा नशा तस्करी पर अंकुश लगाने और नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के उद्देश्य से पुलिस लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। नशा अधिनियम 1988 के तहत आरोपी प्रदीप उर्फ दीप्पड वासी चमेला कॉलोनी, नरवाना को निरुद्ध करवाया गया है। डीएसपी नरवाना कमलदीप राणा ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि माननीय सचिव, गृह विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में आरोपी प्रदीप उर्फ दीप्पड वासी चमेला कॉलोनी, नरवाना को जेल में निरुद्ध करवाया गया है। यह कार्रवाई नशा अधिनियम 1988 की धारा 3(1) के अंतर्गत की गई है। उन्होने बताया कि नशा तस्करी जैसी गंभीर गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है। नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त आरोपियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इससे पूर्व भी 4 नशा तस्करों को निरुद्ध करवाया जा चुका है। पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि नशा तस्करी में संलिप्त पाए जाने वाले तथा बार-बार इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त रहने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने और युवाओं को नशे से बचाने के लिए पुलिस का अभियान निरंतर जारी रहेगा।



पुलिस द्वारा नशा तस्करी में निरुद्ध किया गया संलिप्त आरोपी। (छाया : जेठी)

दो विभिन्न मामलों में अवैध शराब सहित दो काबू

नरवाना, 28 अक्तूबर (विकास जेठी): पुलिस अधीक्षक उपासना आईपीएस के कुशल दिशा-निर्देशन में पुलिस द्वारा अवैध शराब की बिक्री एवं तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जींद पुलिस कि दो अलग-अलग टीमों ने 78 बोतल अवैध शराब सहित दो आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है । थाना गढी के प्रभारी उप.नि. राजेश कुमार ने जानकारी देते हुए उनकी एक टीम दौराने गश्त-पडताल गांव गढी बस अड्डा पर मौजुद थे इसी दोरान मुखबर खास से सुचना प्राप्त हुई कि परमजीत वासी रसीदा, गांव गढी में बिजली घर के नजदीक नरवाना कि तरफ जाने वाले नेशनल हाईबे के लिंक रोड के पास झाडियों में अवैध शराब रखकर बेच रहा है। सुचना को विश्वसनीय मानते हुए पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची तो मुखबिर द्वारा बताएं हुलिया अनुसार दिखाई दिया। जिसे शक के आधार पर काबू कर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम परमजीत वासी रशीदा बताया जिसकी नियमानुसार तलाशी लेने पर कुल 67 बोतल अवैध शराब बरामद हुई। बरामद शराब को नियमानुसार सील कर कब्जा पुलिस में लिया गया तथा आरोपी परमजीत के खिलाफ धारा 61-4-2020 हरियाणा आबकारी संशोधित अधिनियम के तहत थाना गढी में मुकदमा दर्ज करके आगामी कार्यवाही नियमानुसार अमल में लाई जा रही है। एक अन्य मामले कि जानकारी देते हुए थाना पिल्लुखेडा के प्रभारी उप.नि. मनोज कुमार ने बताया कि गश्त-पडताल के दौरान गुप्त सुचना के आधार पर काठ मंडी स्थित एक दुकान से कुल 11 बोतल कल्ब माल्टा अवैध शराब बरामद कि जाकर आरोपी राममेहर वासी सिवाहा के खिलाफ थाना पिल्लुखेडा में धारा 61-4-2020 हरियाणा आबकारी संशोधित अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही नियमानुसार अमल में लाई जा रही है । पुलिस आमजन से अपील करती है कि अवैध शराब के निर्माण, बिक्री या तस्करी की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। अवैध शराब न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि मानव जीवन के लिए भी गंभीर खतरा है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान को गुप्त रखा जाएगा। अपराध की सूचना दें, पुलिस का सहयोग करें और समाज को नशामुक्त बनाने में सहभागी बनें।



दो अलग-अलग मामलों में अवैध शराब सहित काबू दो आरोपी। (छाया : जेठी)

केएम राजकीय महाविद्यालय में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन

प्रतियोगिता में सपना प्रथम, विभा द्वितीय, कोमल तृतीय व गिरिशा एवं अंजलि को सांत्वना पुरस्कार

नरवाना, 28 अक्तूबर (विकास जेठी): के.एम. राजकीय महाविद्यालय, नरवाना में महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में डॉ. मीना देवी की संयोजकता में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. मीनू सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्राओं की रचनात्मकता, कलात्मक प्रतिभा एवं पारंपरिक कला के प्रति रुचि को प्रोत्साहित करना था। प्रतियोगिता में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल की भूमिका उषा शर्मा, कमलजीत एवं पूजा गुप्ता ने निभाई। प्रतियोगिता में एम.ए. प्रथम वर्ष की छात्रा सपना ने प्रथम स्थान, बी.ए. मैथ्स ऑनर्स, सातवें सेमेस्टर की छात्रा विभा ने द्वितीय स्थान तथा बी.ए. तृतीय वर्ष की छात्रा कोमल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बी.कॉम. प्रथम वर्ष की छात्रा गिरिशा एवं बी.ए. मैथ्स ऑनर्स द्वितीय वर्ष की छात्रा अंजलि को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए। प्राचार्या डॉ. मीनू सिंह ने इस प्रकार की गतिविधियों को छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया तथा उन्हें अपनी रचनात्मक प्रतिभा को निखारने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का सफल आयोजन महिला प्रकोष्ठ की संयोजक डॉ. मीना देवी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।



केएम राजकीय महाविद्यालय में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन। (छाया : जेठी)

थाना सदर नरवाना पुलिस चोरी करने के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

नरवाना, 28 अक्तूबर (विकास जेठी): पुलिस अधीक्षक उपासना भा.पु.से. के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस द्वारा चोरी की वारदातों में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान में थाना सदर नरवाना पुलिस ने गांव बेलरखा में दुकानों से बैटरी, इन्वर्टर और गैस सिलेंडर चोरी करने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शीला उर्फ कर्ण व सुमित वासियान खनौरी,जिला संगरूर, पंजाब के रूप में हुई है। थाना सदर नरवाना के प्रभारी उप.नि. कुलदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता भूप सिंह वासी गांव गुरुसर ने थाना सदर नरवाना में अपनी शिकायत में बताया कि गांव बेलरखा में उसकी दुकान से अज्ञात व्यक्तियों ने जनरेटर की बैटरी चोरी कर ली इसके अतिरिक्त गांव में ही संदीप व अनूप कि दुकान से भी गैस सिलेंडर, इन्वर्टर ओर बैटरियां चोरी कर ली गईं। जिसकी शिकायत के आधार पर थाना सदर नरवाना में मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी। जांच के दौरान थाना गढ़ी में दर्ज एक अन्य चोरी के मामले में दो गिरफ्तार किए गए आरोपियों शीला उर्फ कर्ण व सुमित वासियान खनौरी को माननीय न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर दोनों आरोपियों को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा दोनो आरोपियों कि निशानदेही पर शीला उर्फ कर्ण ने 2 हजार रुपये तथा आरोपी सुमित से एक गेस सिलेण्डर व एक इनवेटर बैटरा बरामद किऐ गए। दोनो आरोपियों को माननीय अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया गया है। जींद पुलिस कि आमजन से अपील है कि अपने प्रतिष्ठानों, दुकानों एवं अन्य संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। चोरी एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।



थाना सदर नरवाना पुलिस चोरी करने के मामले में गिरफ्तार दो आरोपी। (छाया : जेठी)



बलदेव सैनी ने सुमन सैनी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके स्वस्थ, सुखी एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। (छाया गुरपाल सिंह नैन)

बलदेव सैनी ने सुमन सैनी को जन्मदिन पर दी शुभकामनाएं

टोहाना, 28 अक्तूबर (गुरपाल सिंह नैन): भाजपा ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष बलदेव सैनी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धर्मपत्नी एवं हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की उपाध्यक्ष सुमन सैनी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। बलदेव सैनी ने ईश्वर से प्रार्थना की कि सुमन सैनी सदैव स्वस्थ, प्रसन्न एवं दीर्घायु रहें। उन्होंने उनके सुखद एवं मंगलमय जीवन की कामना करते हुए कहा कि वे समाज सेवा तथा बाल कल्याण के क्षेत्र में निरंतर अपना योगदान देती रहें। उन्होंने कहा कि जन्मदिन के इस विशेष अवसर पर उनकी कामना है कि सुमन सैनी का जीवन सुख-समृद्धि और खुशियों से परिपूर्ण रहे तथा वे जनकल्याण के कार्यों में इसी प्रकार सक्रिय भूमिका निभाती रहें। इस अवसर पर बलदेव सैनी ने उन्हें पुन: जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

दुर्गा कॉलेज में करवा चौथ के उपलक्ष्य में मेहंदी कार्यक्रम का आयोजन

टोहाना, 28 अक्तूबर (गुरपाल सिंह नैन): 28 अक्तूबर को दुर्गा कॉलेज में करवा चौथ के पावन अवसर पर मेहंदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं एवं महिला स्टाफ सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पूरे आयोजन के दौरान उत्साह और उल्लास का माहौल रहा। कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय संस्कृति, पारंपरिक रीति-रिवाजों एवं सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करन था। मेहंदी की सुंदर कलाकृतियों और पारंपरिक उत्सव के रंगों ने कार्यक्रम को आकर्षक बना दिया। इस अवसर पर कॉलेज की प्राचार्या ने कहा कि भारतीय त्योहार हमारी सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक एकता के प्रतीक हैं। ऐसे कार्यक्रमों से आपसी सौहार्द, सहयोग और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी आवश्यक है, क्योंकि ये विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ भाग लिया और आयोजन को यादगार बनाया। कार्यक्रम ने कॉलेज परिसर में उत्सव और सांस्कृतिक उल्लास का वातावरण निर्मित किया।



मेहंदी लगाते हुए छात्रा एवं महिला स्टाफ सदस्य। (छाया : गुरपाल सिंह नैन)

एफएलएल का 11 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न

सिरसा, 28 अक्तूबर (रघुबीर शर्मा): राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, अनाज मंडी सिरसा में आयोजित फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी (एफएलएन) का 11 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। बुधवार को आयोजित अंतिम शिविर में प्राथमिक शिक्षकों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान को प्रभावी बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया। खण्ड शिक्षा अधिकारी रमेश कुमार की अध्यक्षता में इन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन नोडल अधिकारी महावीर न्योल एवं संतोष पूनिया के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में किया गया। रिसोर्स पर्सन एवं बीआरपी सतविंदर कौर ने शिक्षकों को विभिन्न विषयों को सरल, रोचक और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पढ़ाने के महत्वपूर्ण गुर सिखाए। प्रशिक्षण के दौरान इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित न रखते हुए खेलों, गतिविधियों और दैनिक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाए। इससे बच्चों में पढ़ने, लिखने, गणना करने और विषयों को बेहतर ढंग से समझने की क्षमता विकसित होती है। प्रशिक्षण में बाल-केंद्रित शिक्षा, गतिविधि-आधारित शिक्षण तथा बच्चों की व्यक्तिगत सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर अध्यापन करने की महत्ता पर भी प्रकाश डाला गया। शिक्षकों को प्रेरित किया गया कि वे कक्षा-कक्ष के वातावरण को आनंददायक बनाएं, ताकि बच्चे बिना किसी झिझक के प्रश्न पूछ सकें और सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाएं। एफएलएन प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बच्चे में बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान की दक्षताओं को मजबूत करना है। प्रारंभिक कक्षाओं में भाषा और गणित की मजबूत नींव विद्यार्थियों के भविष्य के शैक्षणिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सभी 11 प्रशिक्षण शिविरों का सफल आयोजन प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रहा। प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव शिक्षकों को अपनी शिक्षण पद्धतियों में सकारात्मक बदलाव लाने तथा विद्यार्थियों को अधिक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा।इन प्रशिक्षण शिविरों में के आर पी संजीव झुरिया,परविन्द्र सिंह, नरेन्द्र पारीक, जीनम चौधरी, शशीकांत, गिरीश, रिया, दिव्या, संगीता, सीमा चारू बाला की सभी अध्यापकों को प्रशिक्षण देने में इनकी विशेष भूमिका रही। इस अवसर अंशुल गोयल, सोनिया कटारिया, संतोष सेठी, सुमन कुमारी, रेनू मैहता, उर्मिला, संदीप कुमार, सुरेश कुमार, संजीव बिश्नोई, संजय मैहता, मनीष ख्यालिया, दिनेश कुमार, मनोज कुमार सहित अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित थे।



कार्यक्रम दौरान सांझी तस्वीर करवाते हुए।



करवा चौथ पर भाविप केशव शाखा द्वारा नि:शुल्क शिविर में मेहंदी लगवाती महिलाएं। (छाया : जेठी)

करवा चौथ पर भारत विकास परिषद् केशव शाखा ने लगाया नि:शुल्क मेहंदी शिविर : संतोष जैन शाखा महिला संयोजिका

नरवाना, 28 अक्तूबर (विकास जेठी): करवा चौथ के पावन पर्व के उपलक्ष्य में भारत विकास परिषद केशव शाखा नरवाना की ओर से शैली शॉपिंग हट, नरवाना में महिलाओं के लिए नि:शुल्क मेहंदी लगाने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा परिषद परिवार की महिला सदस्यों अंजली चौधरी, उषा वर्मा, सलोनी गर्ग, शोभा जांगड़ा, प्रणिता मधोक,श्वेता गोयल दीपिका अरोड़ा आदि ने बढ़-चढ़कर अपनी सहभागिता दर्ज करवाई। कार्यक्रम के दौरान 40 महिलाओं ने नि:शुल्क मेहंदी लगवाई। महिलाओं में त्योहार को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य करवा चौथ की खुशियों को साझा करना तथा महिलाओं के बीच आपसी प्रेम, सौहार्द एवं भाईचारे की भावना को मजबूत करना था।

भारत विकास परिषद केशव शाखा नरवाना सदैव सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सेवा कार्यों के माध्यम से समाज में सकारात्मक संदेश देने का प्रयास करती रही है। इस प्रकार के आयोजन भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं को सहेजने के साथ-साथ समाज में आपसी जुड़ाव और महिला सहभागिता को भी प्रोत्साहित करते हैं। शाखा की ओर से सभी महिलाओं को करवा चौथ के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके सुखी एवं मंगलमय जीवन की कामना की गई।

डीएवी पब्लिक स्कूल में करवा चौथ की पूर्व संध्या पर मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता आयोजित

नरवाना, 28 अक्तूबर (विकास जेठी): डीएवी पब्लिक स्कूल नरवाना में बुधवार को करवा चौथ की पूर्व संध्या पर मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कक्षा पहली से बारहवीं तक के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी कलात्मक प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने सुंदर एवं आकर्षक मेहंदी डिजाइनों के माध्यम से अपनी रचनात्मकता, कल्पनाशीलता और कला-कौशल का परिचय दिया। प्रतियोगिता में कक्षा छठी से बारहवीं तक की दिव्या, आरूही, कृति, तनीषा, प्राची, नव्या, यापंशु, दीपिका, शिवानी, शगुन, खुशी, टिया, रिशिम सहित अन्य विद्यार्थियों ने भाग लिया। वहीं, कक्षा पहली से पांचवीं तक की अनन्या, यश्वी, अहाना, हर्षिता, दीक्षु, खुशप्रीत, सुसर्भ, परमीत, अर्पिता, कुंज, नेहा, एंजल, दिव्यांश, लविष, सान्वी, नव्या, प्रीति, सोनम और मनदीप सहित अन्य विद्यार्थियों ने भी अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मकता को बढ़ावा देना, उनकी कलात्मक प्रतिभा को निखारना तथा भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति रुचि विकसित करना था। विद्यालय की इंचार्ज बृज बाला ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की रचनात्मक गतिविधियाँ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके माध्यम से बच्चों की कल्पनाशक्ति, कलात्मक अभिरुचि और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है। अंत में सभी प्रतिभागियों की सराहना की गई। प्रतियोगिता ने विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने तथा भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का एक सुंदर अवसर प्रदान किया।



करवा चौथ की पूर्व संध्या पर मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता के दौरान स्टाफ व विद्यार्थी। (छाया : जेठी)

ग्रामीण अंचल में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं : सेठी

वरिष्ठ वर्ग में काव्य वर्मा और कनिष्ठ वर्ग में हर्षिका रोज ने मारी बाजी

सिरसा, 28 अक्तूबर (रघुबीर शर्मा): ग्रामीण अंचल में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता केवल बच्चों की छिपी हुई प्रतिभा को पहचानने, उन्हें उचित अवसर प्रदान करने तथा प्रोत्साहित करने की है। गांवों में पढ़ने वाले बच्चे भी अपनी मेहनत, लगन और रचनात्मक सोच के बल पर किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं। यह बात संगम स्कूल भरोखां के मुख्य अध्यापक छगन सेठी ने विद्यालय में आयोजित मेहंदी लगाओ प्रतियोगिता के अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कही। करवा चौथ के पावन पर्व के उपलक्ष्य में संगम स्कूल भरोखां में मेहंदी लगाओ प्रतियोगिता का आयोजन बड़े उत्साह और उमंग के साथ किया गया। प्रतियोगिता में छात्राओं के साथ-साथ छात्रों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया तथा अपनी कलात्मक प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों द्वारा हाथों पर उकेरी गई सुंदर, आकर्षक एवं मनमोहक मेहंदी की डिजाइनों ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। विशेष रूप से छोटी-छोटी बच्चियों द्वारा मेहंदी से बनाई गई बारीक और सुंदर कलाकृतियां सभी के आकर्षण का केंद्र रहीं। नन्हे हाथों से रची गई मेहंदी की आकर्षक आकृतियों को देखकर अध्यापक भी बच्चों की कल्पनाशीलता और हुनर की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। किसी ने पारंपरिक फूल-पत्तियों की सुंदर आकृतियां बनाईं तो किसी ने आधुनिक डिजाइन के माध्यम से अपनी रचनात्मक सोच का परिचय दिया। प्रतियोगिता के दौरान विद्यार्थियों में गजब का उत्साह देखने को मिला।

दो वर्गों में हुई प्रतियोगिता, विजेताओं ने दिखाई प्रतिभा : प्रतियोगिता को विद्यार्थियों की आयु एवं कक्षा के अनुसार कनिष्ठ और वरिष्ठ, दो वर्गों में विभाजित किया गया था। दोनों वर्गों के प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह, एकाग्रता और आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के कनिष्ठ वर्ग में हर्षिका रोज ने प्रथम स्थान तथा वर्षा फ्रेंड ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं वरिष्ठ वर्ग में काव्य वर्मा ने प्रथम स्थान और भारती योगी ने द्वितीय स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक गतिविधियां भी आवश्यक- छगन सेठी : इस अवसर पर विद्यालय के मुख्य अध्यापक छगन सेठी ने कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान देना नहीं, बल्कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। प्रत्येक बच्चे में कोई न कोई विशेष प्रतिभा छिपी होती है। विद्यालय का दायित्व है कि वह उस प्रतिभा को पहचानकर उसे निखारने के लिए उचित मंच प्रदान करे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे किसी भी दृष्टि से शहरी बच्चों से कम नहीं हैं। यदि उन्हें सही मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और अवसर उपलब्ध करवाए जाएं तो वे शिक्षा के साथ-साथ कला, संस्कृति, खेलकूद और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भी अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अध्यापक छगन सेठी ने प्रतियोगिता में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।



संगम स्कूल भरोखां में मेहंदी लगाओ प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चे।

डा. हिमांशु गुप्ता, पीसीएस, ज्वाइंट कमिश्नर-II, नगर निगम, चंडीगढ़ की उपस्थिति में



विषय : रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर बूथ नं. 564, मोटर मार्किट, एनएसी मनीमाजरा, यू.टी. चंडीगढ़ की मालकी के 50% हिस्से की तबदीली।

यह आम जनता एवं सभी संबंधितों की जानकारी हेतु अधिसूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार, रिहायशी बूथ नं. 564, मोटर मार्किट, एनएसी मनीमाजरा, यू.टी. चंडीगढ़ के संबंध में 50% हिस्सा श्री हीरा सिंह पुत्र श्री सरदारा सिंह के नाम पर है।

यह स. उज्जल सिंह पुत्र स. अमर सिंह द्वारा रिपोर्ट की गई है कि श्री हीरा सिंह पुत्र श्री सरदारा सिंह की मृत्यु 02.04.2010 को हो गई थी एवं उन्होंने 28.02.1995 को एक रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित की थी, जिसके द्वारा उन्होंने अपना 50% हिस्सा स. उज्जल सिंह पुत्र स. अमर सिंह के पक्ष में वसीयत किया था, जो उन्होंने रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर अपने पक्ष में बूथ नं. 564, मोटर मार्किट, एनएसी मनीमाजरा, यू.टी., चंडीगढ़ के संबंध में 50% हिस्से की हद तक मालकी अधिकारों की तबदीली हेतु आवेदन किया है।

यदि किसी कानूनी वारिस या किसी अन्य व्यक्ति को उक्त प्रॉपर्टी की तबदीली उपरोक्त नाम वाले आवेदक के पक्ष में हस्तांतरण करने पर कोई आपत्ति है या इस मामले में किसी सक्षम अदालत द्वारा जारी किए गए किसी भी स्टे ऑर्डर के संबंध में कोई जानकारी है जो अभी भी लागू है, तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर लिखित रूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय, कमरा नं. 111, पहली मंज़िल, न्यू डीलक्स बिल्डिंग, नगर निगम, सैक्टर-17, चंडीगढ़ में जमा कर सकता है। अन्यथा उक्त जायदाद को फलस्वरूप हस्तांतरित कर दिया जाएगा एवं इस कार्यालय द्वारा बाद में किसी भी प्रकार का कोई दावा, जो भी हो, स्वीकार नहीं किया जाएगा।

डा. हिमांशु गुप्ता, पीसीएस
ज्वाइंट कमिश्नर,
नगर निगम, चंडीगढ़।

गृहम हाऊसिंग फाइनांस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : छठी मंज़िल, बी बिल्डिंग, गंगा टूनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014
ब्रांच ऑफ यूनिट : दूसरी मंज़िल, एक्स-780, मणप्पुरम फाईनांस के ऊपर, सर्कुलर रोड, भिवानी-127021

सरफेसी एक्ट अधीन सिक्योर्ड अचल एसैट की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

सिक्योरिटी इंट्रैस्ट (इनफोर्समैंट) रूल्ज़ 2002 के रूल 8 एवं 9 के साथ पढ़े जाते सिक्योरटाईज़ेशन एवं रीकंस्ट्रक्शन ऑफ फाईनैंशियल एसैट्स एवं इनफोर्समैंट ऑफ सिक्योरिटी इंट्रैस्ट एक्ट 2002 (दी एक्ट) अधीन अचल एसैट्स की बिक्री हेतु ई- नीलामी बिक्री सूचना

आम जनता एवं विशेषकर कर्ज़दार/सहकर्ज़दार/गिरवीकार (गिरवीकारों)/गारंटर (गारंटरों) को इस द्वारा नोटिस दिया जाता है कि गृहम हाऊसिंग फाइनांस लिमिटेड (जिसका इसके पश्चात् एक्ट अनुसार (सिक्योर्ड क्रैडिटर के रूप में संदर्भ लिया जाएगा) के पास गिरवी रखी निम्न दर्शाई अचल सम्पत्तियां, जिसका कब्ज़ा एक्ट की धारा 13(2) अधीन नोटिस की पालना में सिक्योरिटी इंट्रैस्ट (इनफोर्समैंट) रूल के रूल्ज़ 8 एवं 9 से पढ़े जाते एक्ट की धारा 13(12) अधीन सौंपी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सिक्योर्ड क्रैडिटर के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है।

सिक्योर्ड एसैट की बिक्री 'जैसे है जहां है' 'जैसे है जो है' एवं 'वहां जो भी है' के आधार पर 30/11/2026 को ई-नीलामी द्वारा की जाएगी। आम जनता को इस द्वारा सूचित किया जाता है कि हम वैबसाइट https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफार्म द्वारा पब्लिक नीलामी आयोजित कर रहे हैं। बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों हेतु कृपया जीएचएफएल की/सिक्योर्ड क्रैडिटर्ज़ की वैबसाइट www.grihumhousing.com पर उपलब्ध लिंक का संदर्भ लें।

प्रस्ताव नं. कस्टमर का नाम (ए)	डिमांड नोटिस की तिथि एवं बकाया राशि (बी)	कब्ज़े की किस्म (सी)	प्रॉपर्टी का विवरण (डी)	आरक्षित कीमत (ई)	ईएमडी (आरक्षित कीमत का 10%) एफ)	ईएमडी पेश करने की तिथि (जी)	इंक्रीमैंटल बोली (एच)	सम्पत्ति निरीक्षण तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	जाने जाते अवैध कब्ज़े/कोर्ट केस यदि कोई हो (के)
ऋण सं. HF0428H21100115 परवीन धर्मबीर (कर्ज़दार) धर्मवीर बेग (सह-कर्ज़दार) सुनीता कुलदीप सिंह जांगरा	नोटिस तिथि : 08.08.2025 कुल बकाया : रु. 1819687/- (रु. अठारह लाख उन्नीस हज़ार छः सौ सतासी केवल) वसूली तक ब्याज @ 16.6% पीए सहित 08.08.2025 को अदायगी योग्य।	फिजीकल	खेवट नं. 165 खतौनी नं. 206 एवं बीयरिंग खसरा नं. 122//15(7-11)123//10/2/1 (0-19) 10/2/3(3-4) 11/1(2-18) 13(3-13) में शामिल ज़मी